"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2008—कार्तिक 9, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-10-2008 द्वारा श्री प्रसन्ना आर., भा. प्र. से. (2004), की सेवाएं अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सहकारिता विभाग को सौंपी गई थीं. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री प्रसन्ना आर. की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है.

2. श्री प्रसन्ना आर. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

तहत अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री भूवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006), अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जिला कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-1-1/2008/1/2.—श्री मुनीश कुमार त्यागी, भा. प्र. से. (1997), संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एल. एस. केन, भा. प्र. से. (2000), कलेक्टर, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप-सचिव, मंत्रालय पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री भूवनेश यादव, भा. प्र. से. (2006), सहायक कलेक्टर, जिला कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से. (2006), सहायक कलेक्टर, जिला बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

क्रमांक ई-7/7/2007/1/2.—श्री एन. के. खाखा, भा. प्र. से., उपायुक्त, आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 15-12-2008 से 02-01-2009 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खाखा, आगामी आदेश तक उपायुक्त, आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खाखा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खाखा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक 9342/डी-3039/21-ब/छ. ग./2008.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं को दिनांक 01-10-2008 से निम्नलिखित दरों पर अभिभाषक शुल्क दिया जाना एतद्द्वारा नियत करता है :—

1	विशेष लोक अभियोजक	(क)	250/- (रु. दो सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए,
		(ख)	रु. 500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए,
2	विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता.	(क)	200/- (रु. दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए,
		(ख)	रु. 400/- (रु. चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए,

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा :—

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,

(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर,

(3) अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थिति होने के कारण.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/मुफस्सिल स्थापना-010-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-006-अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 436/23515/वित्त विभाग/ब-3/2008 दिनांक 23-09-08 द्वारा प्रदान किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 8-1/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमि. के बॉयलर क्रमांक सी. जी./42 को दिनांक 19-10-08 से 19-04-09 तक निम्नलिखित शर्तों

पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 8-4/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3522 को दिनांक 14-10-2008 से 31-03-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 20-89/2006/11/(6).—राज्य शासन एतद्द्वारा Special Economic Zones हेतु Empowered Committee का गठन आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार गठित करता है.

(1)	मुख्य सचिव, छ. ग. शासन	अध्यक्ष
(2)	सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
(3)	सचिव, खनिज संसाधन विभाग	सदस्य
(4)	सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(5)	सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
(6)	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(7)	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
(8)	आयुक्त, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव
(9)	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी	सदस्य
(10)	विकास आयुक्त SEZ	सदस्य

यह कमेटी Special Economic Zones के संबंध में औद्योगिक संवर्धन, विकास एवं अन्य आवश्यक कार्य करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-5-23/दो/आठ-परि./08.—निम्नलिखित पारस्परिक यातायात करार जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) (केन्द्रीय अधिनियम-59/1988) के तहत छत्तीसगढ़ एवं आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था. तदनुसार कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 उप-धारा (6) के तहत प्रकाशित करता है :-

और चूंकि, छत्तीसगढ़ शासन एवं आन्ध्रप्रदेश शासन को अनेक आवेदन नये मार्ग खोलने हेतु प्राप्त हुये हैं.

और चूंकि, पारस्परिक यातायात करार का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन एवं आन्ध्रप्रदेश शासन द्वारा स्टेज कैरिज सेवा, संविदा वाहन, माल वाहन, तथा शैक्षणिक संस्थाओं की वाहन संचालन हेतु प्रस्तावित किया गया था, एवं पारस्परिक यातायात करार का प्रारूप दोनों राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप-धारा (5) (केन्द्रीय अधिनियम-59/1988) के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-23/दो/आठ-परि./03, दिनांक-03 फरवरी 2004 को सुझाव एवं अभ्यावेदन हेतु प्रकाशित किया गया था, तथा पुनः संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-640/परि/टीसी/08, दिनांक-14-05-08 को प्रकाशित कर सुझाव एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए; तथा दिनांक-16-09-08 को प्राप्त सुझाव एवं अभ्यावेदन पर प्रमुख सचिव, परिवहन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिया गया.

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (6) (केन्द्रीय अधिनियम- 59/1988) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ एवं आन्ध्रप्रदेश शासन द्वारा निष्पादित करार प्रकाशित करता है.

यह करार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

1. **प्रक्रम वाहन परमिट :-**

   (क) प्रक्रम वाहनों के लिए अन्तर्राज्यीय मार्ग का आशय है, किसी विशेष प्रकरण या प्रकरणों में ऐसे मार्ग जैसा कि सहमति हुई हो।

   (ख) प्रक्रम वाहनों के संचालन के अन्तर्गत फेरो की संख्या, वाहनों की संख्या, परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होगी।

(ग) प्रक्रम वाहन जो छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत है, और पारस्परिक करार के अन्तर्गत आँध्रप्रदेश में संचालित है, वे उनके द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत देय कर का भुगतान सम्पूर्ण मार्ग के लिए (छत्तीसगढ़ राज्य में) करने के लिए उत्तरदायी होगा.

प्रक्रम वाहन जो आँध्रप्रदेश में पंजीकृत है और पारस्परिक करार के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित है, वे आँध्रप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत देय कर का भुगतान सम्पूर्ण मार्ग के लिए (आँध्रप्रदेश में) करने के लिए उत्तरदायी होंगे.

(घ) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के संचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया एवं भाड़ा उस किराया एवं भाड़ा से कम नहीं होगा जो संबंधित राज्य द्वारा उसी प्रकार की सेवा के लिए लिया जाता है. एक राज्य द्वारा जारी किये गये टिकिट पारस्परिक राज्य में वैध माने जायेंगे.

(ङ) परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित मार्गों पर जब तक पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्थायी परमिट स्वीकृत नहीं किये जाते, संबंधित राज्य के नॉमनी को परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे. स्थायी परमिट का नवीनीकरण लंबित होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, 87 (1) (डी) के अन्तर्गत पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये अस्थायी परमिट पर स्थायी परमिट की भाँति कर देय होगा जैसा कि खण्ड (स) में परिभाषित है.

(च) पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, 88 (7) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट स्वीकृत करने हेतु सामान्य सहमति, जब आवश्यक हो दे सकेंगे.

(छ) यदि प्रक्रम वाहन अपने मूल पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है, तो अन्तर्राज्यीय मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ज) यदि अनुसूची 'अ' में उद्धित मार्गों की दूरी के संबंध में कोई मतभेद पाया जाता है तो वह दोनों राज्यों के बीच पत्र व्यवहार के माध्यम से सुधार लिया जाएगा और यह करार में उपान्तरण के रूप में नहीं माना जाएगा.

(झ) दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य द्वारा खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ञ) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकार अपने क्षेत्राधिकार में आवश्यक होने पर, परमिट स्वीकृत प्राधिकार द्वारा जारी किये गये समय-चक्र में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे.

2. स्थायी परमिट के अन्तर्गत मोटरकैब का संचालन:-

6+1 तक बैठक क्षमता वाले मोटरकैब का संचालन पारस्परिक राज्य में बिना कर का भुगतान किये किया जा सकेगा वशर्ते उनके पास परमिट स्वीकृतकर्ता राज्य का वैध परमिट हो.

3. स्थायी परमिट के अन्तर्गत मालयान का संचालन:-

(क) प्रत्येक राज्य के मालयान परमिट पर दूसरे राज्य द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत परमिट की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा.

(ख) मालयानों पर प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर 30 कि. मी. पथान्तर तक उक्त अधिनियम की धारा, 115 में प्रतिबंधित मार्गो को छोड़कर संचालन के लिए प्रदान की जाएगी. इस उद्देश्य से दोनों राज्य प्रतिबंधित मार्गों की सूची का आदान-प्रदान समय-समय पर करेंगे.

(ग) मालयान अपनी वापसी यात्रा में अनन्यतः पारस्परिक राज्य के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो विन्दुओं के बीच उस राज्य के किसी स्थान व मार्ग पर माल को चढ़ाने और उतारने का कार्य नहीं करेगा.

परन्तु अग्रेषित यात्रा में पारस्परिक राज्य के किसी बिन्दु पर माल उतारने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु उस राज्य से कोई माल चढ़ाया नहीं जाएगा.

(घ) दोनों पक्षों की ओर से कर का भुगतान दोनों राज्यों द्वारा सहमत दर पर एकल बिन्दु प्रणाली के आधार पर वार्षिक समयावधि के लिए किया जाएगा.

(ङ) स्वीकृत प्रतिहस्ताक्षर उस समयावधि के लिए वैध होगा जिसके लिए पारस्परिक राज्य के सभी देय करों का अग्रिम भुगतान कर दिया गया हो.

(च) यदि प्रतिहस्ताक्षर परमिटधारी उप-मद (द) में उल्लेखित कर का भुगतान, पूर्व भुगतान किये गये कर की वैधता समाप्त होने की तिथि से दो माह के अन्दर नहीं करता है तो प्रतिहस्ताक्षर, परमिट स्वीकृत प्राधिकारी को सूचना देते हुए निरस्त माना जाएगा.

(छ) अग्रिम में जमा किया गया कर किसी भी आधार पर परमिट के क्रियाशील नहीं होने अथवा वाहन के निष्प्रयोग में रहने के कारण वापस नहीं किया जाएगा.

(ज) जो मालयान अपने मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष या उससे पुराना है उसके लिए परमिट प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा.

4. शैक्षणिक संस्थाओं की बस का संचालन :-

पारस्परिक राज्य एक दूसरे राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं की बस को शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बिना कर वसूल किये संचालन की अनुमति प्रदान करेंगे.

5. सामान्य :-

(1) पारस्परिक राज्य कर भुगतान एवं करार अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित मोटरयान के परिचालक लायसेंस को मान्यता प्रदान करेंगे.

(2) पारस्परिक राज्य के वाहन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के हो और जिसका उपयोग अनार्थिक उद्देश्य से किया जाता हो, मोटरयान कर भुगतान से पूर्णतः मुक्त होंगे.

(3) इस समझौते के अन्तर्गत स्वीकृत प्रतिहस्ताक्षर उसी समयावधि के लिए वैध माना जाएगा जिस समयावधि के लिए पारस्परिक राज्य के देय करों का भुगतान कर दिया गया हो.

(4) नवीन सड़क निर्माण की स्थिति में प्रक्रम वाहन को समझौते में उल्लेखित अन्तर्राज्यीय मार्ग के विचलित मार्ग से संचालन की अनुमति संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन पश्चात् दी जाएगी.

(5) यह पारस्परिक करार तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक दोनों राज्यों के मध्य इसका पुनर्विलोकन न हो और एक नवीन करार प्रभावशील न हो जायें अथवा आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की सूचना देकर करार को विखण्डित नहीं कर दिया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट 'अ'

आँध्रप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तावित संचालन हेतु अन्तर प्रान्तीय मार्गों का विवरण-

क्रमांक	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में			एकल फेरो की संख्या		कुल संचालन कि.मी. में		परमिटों की संख्या	
		आँध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़	योग	आँध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य का आ.प्र. में	आ.प्र. का छत्तीसगढ़ में	आँध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जगदलपुर से हैद्राबाद व्हाया भद्राचलम	382	184	566	2	2	764	368	2	2
2	बैलाडिला से हैद्राबाद व्हाया सुकमा, भद्राचलम	382	250	632	4	2	764	1000	4	2
3	जगदलपुर से विजयवाड़ा व्हाया भद्राचलम	251	185	436	2	2	502	370	2	2
4	जगदलपुर से राजमुन्द्री व्हाया सुकमा, कोन्टा, चिन्तुर, गोकावरम	159	185	344	2	2	318	370	2	2
5	विशाखापट्नम से बैलाडिला व्हाया जगदलपुर	134 उड़ीसा 155	138	427	2	2	268	276	2	2
6	बैलाडीला से विजयवाड़ा व्हाया दन्तेवाड़ा, गादीरास, सुकमा	251	201	452	2	2	502	402	2	2
7	बैलाडीला से राजमुन्द्री व्हाया दन्तेवाड़ा, गादीरास, सुकमा	159	201	360	2	2	318	402	2	2
8	भद्राचलम से मद्देड़ व्हाया भोपालपटनम	160	55	215	4	2	320	220	2	1
9	भद्राचलम से दन्तेवाड़ा व्हाया चिन्तुर, कोन्टा, सुकमा	75	151	226	4	2	150	604	2	1
10	खम्मम् से मलकानगिरी व्हाया कोन्टा, सुकमा	195 उड़ीसा 40	85	320	2	2	390	170	2	2
11	हैद्राबाद से रायपुर व्हाया अड़िलाबाद, नागपुर, भड़ारा, दुर्ग	347 महा. 263	137	747	2	2	694	274	2	2
	योग						4990	4456		

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-5-23/दो/आठ-परि./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक-13-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No. F-5-23/two/VIII-Trans./08.—The following Reciprocal Agreement of the nature referred to in sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) arrived at between the Government of Chhattisgarh and Andhra Pradesh after following the due procedure is hereby published as required vide sub-section (6) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

And whereas, the Government of Chhattisgarh and Government of Andhra Pradesh received several representations for introduction of new services connecting Chhattisgarh and Andhra Pradesh and Vice-versa.

And whereas, the proposed Reciprocal Agreement between the State of Chhattisgarh and State of Andhra Pradesh for the operation of Stage Carriage service, Contract Carriage, Goods Carriage, Education Institutional Buses has been proposed and the agreement between both States for Interstate routes under Motor Vehicle Act 1988 section 88 Sub-section (5) (Central Rules 59/1988) and vide Notification No. F 23/Two/Eight-Tran./03, dated 3rd February 2004 Suggestions and Objections has been invited and again the revised Notification No. F-640/Tra./T.C./08, dated 14th May 2008 was published and suggestion and objection again have been invited. On 16th September 2008, the Principal Secretary, Chhattisgarh Government heard the objections and suggestions and accordingly decided them.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) the Government of Chhattisgarh hereby publishes the following agreement arrived at between the State of Chhattisgarh and State of Andhra Pradesh.

The Agreement shall come in to force with effect from published in this gazette.

1. **Operation of Stage Carriages :**

(a) Inter-state routes for the stage carriages shall mean the routes as agreed upon in any particular case or cases.

(b) The stage carrigages with number of trips and number of vehicles under the operation shall be as per Annexure "A".

(c) The stage carriage vehicles registered in the State of Chhattisgarh and are operating under this agreement in the State of Andhra Pradesh shall be liable to pay the tax leviable under Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 for the entire route.

The stage carriage vehicles registered in the State of Andhra Pradesh and are operating under this agreement in the State of Chhattisgarh shall be liable to pay the motor vehicle tax leviable under Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1963 for the entire route.

(d) The fares and freight chargeable by the operations in the reciprocation State shall not be less than those charged by the operators of that State for similar services. The tickets issued by one State shall be deemed to be valid in the reciprocating State.

(e) Till the substantive permits on the routes mentioned in the Annexure- "A", are granted by the Transport Authorities in the Reciprocating State, temporary permits to the nominees of the respective States shall be issued and countersigned by the Transport Authorities.

Temporary permits issued during the pendency of renewal of substantive permits under Section 87 (1) (d) of the Motor Vehicles Act, 1988 and countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State shall be liable to pay the tax as applicable to the substantive permits as defined in clause (c) above.

(f) The Transport Authority of the reciprocating States may accord general concurrence under section 88 (7) of the said Act for issue of temporary permits as and when required.

(g) The Stage carriage shall not be allowed to ply on inter-state routes, if, it is more than (10) years of age from the date of its initial registration.

(h) If any descrepancy in found in the distances of routes shown in the Annexure "A", appended to this

agreement, the same shall be corrected through correspondence between the States and it shall not be treated as modification in the agreement.

(i) No standing passengers shall be permitted in the Express stage carriages of both the states.

(j) Countersigning authority shall be permitted to make necessary changes, if required, in the time table issued by the permit granting authority within its own jurisdiction.

2. **Operation of Motor cabs of Substantive Permits :**
To operate Motor cabs with seating capacity upto 6+1 in all in the reciprocating State without paying tax in the reciprocating State provided they have a valid permit in the permit granting State.

3. **Goods carriage operation on Substantive Permits :**

(a) The goods carriage permits of each State shall be countersigned by the Transport Authority of the other State in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 88 of the said Act without any restriction on the number of such permits.

(b) The countersignature shall be granted for plying in the vehicles on all National and State highways with a deviation upto 30 kilometers except the routes prohibited in accordence with section 115 of the said Act. For this purpose both States will exchange list of prohibited routes in each State from time to time.

(c) The vehicles shall not on their return journey pick-up any goods between any two points lying exclusively within the territor of the reciprocating State for setting down such goods at any place or route in the State.

Provided that on the forward journey there shall be no restriction on setting down goods any where in the reciprocating State but no goods shall be picked up in that State.

(d) The bilateral tax will be on single point taxation basis on annual basis at an equal rate agreed upon by the two States.

(e) The countersignature granted shall be valid for the duration of the period for which all taxes due to the reciprocating State have been paid in advance.

(f) If the countersignature holders fail to pay tax as indicated in sub-clause (d) within two months from the date of expiry of the period for which the tax was last paid the countersignature shall be deemed to be cancelled under intimation to original permit granting authority.

(g) No refund of tax paid in advance shall be permitted on account of dormancy of the permit or non-use of vehicle on any ground.

(h) No countersignature on the permit shall be granted to a goods carriage which is 12 years old or more from the date of initial registration.

4. **Operation of Educational Institutional Buses :**
To permit the Educational Institutional Buses to operate in the State for Educational purpose on reciprocal basis without insisting tax by the reciprocating State.

5. **General :**

(1) The reciprocating State shall accord recognition to tax payments, and conductor licenses of motor vehicles plying on the Inter-state routes in accordance with this agreement.

(2) The vehicles owned by the Government of Reciprocating State used for non-commercial purpose shall be totally exempted from payment of motor vehicles tax.

(3) The countersignature granted this agreement shall be subject to the condition that it shall be valid only for the duration of the period for which all taxes due to the reciprocating State have been paid.

(4) The stage carriage shall be permitted to divert their services on inter state routes specified in the agreement in case of construction of new road subject to the approval of concerned State Transport Authority.

(5) This agreement shall remain in force until it is reviewed and a new agreement comes into force or until it is rescinded or modified by mutual consent on three months notice by either side.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Special Secretary.

ANEXURE-A

Inter State routes Andhra Pradesh and Chhattisgarh

Sl. No.	Route with Route Course	Route Length (Kms.)			Single Trips		Total Kms.	Total Kms.	No. of Permit	
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
		AP	CHS	Total	AP	CHS	By CHS in AP	By AP in CHS	AP	CHS
1.	Jagdalpur to Hyderabad (Via) Bhadrachalam	382	184	566	2	2	764	368	2	2
2.	Bailadilla to Hyderabad (Via) Sukuma and Bhadrachalam	382	250	632	4	2	764	1,000	4	2
3.	Jagdalpur to Vijayawada (Via) Bhadrachalam	251	185	436	2	2	502	370	2	2
4.	Jagdalpur Rajamundry (Via) Sukuma, Kunta, Chintoor, Gokavaram	159	185	344	2	2	318	370	2	2
5.	Visakhapatnam to Bailadilla (Via) Jagdalpur	134 Orissa 155	138	427	2	2	268	276	2	2
6.	Bailadilla to Vijayawada (Via) Dantewada, Gadirash, Sukuma	251	201	452	2	2	502	402	2	2
7.	Bailadilla to Rajamundry (Via) Dantewada, Gadirash, Sukuma	159	201	360	2	2	318	402	2	2
8.	Bhadrachalam to Maddedu (Via) Bhopalapatnam	160	55	215	4	2	320	220	2	1
9.	Bhadrachalam to Dantewada (Via) Chintoor, Kunta, Sukuma	75	151	226	4	2	150	604	2	1
10.	Khammam to Malkangiri (Via) Kunta and Sukuma	195 Orissa 40	85	320	2	2	390	170	2	2
11.	Hyderabad to Raipur (Via) Adilabad, Nagpur, Bhandara and Durg	347 Mah 263	137	747	2	2	694	274	2	2
	GRAND TOTAL						4990	4456		

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ-परि./08.—निम्नलिखित पारस्परिक यातायात करार जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (5) (केन्द्रीय अधिनियम-59/1988) के तहत छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य द्वारा प्रकाशित किया गया था. तदनुसार कार्यवाही करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 उप-धारा (6) के तहत प्रकाशित करता है :-

और चूंकि, छत्तीसगढ़ राज्य एवं उड़ीसा राज्य को अनेक आवेदन नये मार्ग खोलने हेतु प्राप्त हुये हैं.

और चूंकि, पारस्परिक यातायात करार का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य एवं उड़ीसा राज्य द्वारा स्टेज कैरिज, संविदा वाहन, निजी सेवा यान, तथा माल वाहन संचालन हेतु प्रस्तावित किया गया था, एवं पारस्परिक यातायात करार का प्रारूप दोनों राज्यों के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उप-धारा (5) (केन्द्रीय अधिनियम- 59/1988) के द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ-परि./04, दिनांक-14 अक्टूबर, 2005 को सुझाव एवं अभ्यावेदन हेतु प्रकाशित किया गया था, तथा पुनः संशोधित अधिसूचना क्रमांक-एफ-1632/परि/टीसी/08, दिनांक-08 अगस्त, 2008 को प्रकाशित कर सुझाव एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए, तथा दिनांक 16-09-08 को प्राप्त सुझाव एवं अभ्यावेदन पर प्रमुख सचिव, परिवहन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिया गया.

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (6) (केन्द्रीय अधिनियम- 59/1988) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य द्वारा निष्पादित करार प्रकाशित करता है.

यह करार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

1. **प्रक्रम** वाहन के परमिट :-

(क) प्रक्रम वाहनों के लिए अन्तर्राज्यीय मार्ग का आशय है ऐसे मार्ग जैसा कि सहमति हुई हो तथा फेरो की संख्या एवं परमिट की संख्या परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होगी.

(ख) संबंधित राज्य के प्रक्रम वाहन पारस्परिक करारकर्ता राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार उस राज्य में पड़ने वाले मार्ग के भाग के लिए कर का भुगतान करेंगे.

(ग) पारस्परिक करारकर्ता राज्य के संचालकों द्वारा लिया जाने वाला किराया एवं भाड़ा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता राज्य के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, एक राज्य द्वारा जारी किये गये टिकिट पारस्परिक राज्य में वैध माने जायेंगे.

(घ) परिशिष्ट 'अ' में उल्लेखित मार्गों पर जब तक पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्थायी परमिट स्वीकृत नही किये जाते, संबंधित राज्य के नॉमिनी को परिवहन प्राधिकारी द्वारा अस्थायी परमिट स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे.

सहमत मार्गों के लिए जारी किये गये अस्थायी परमिट पर कर उसी भाँति देय होगा जैसा कि सहमत मार्गों के लिए स्थायी परमिट पर देय होता है.

(ङ.) पारस्परिक राज्य के परिवहन प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 88(7) के अन्तर्गत अस्थायी परमिट स्वीकृत करने हेतु सामान्य सहमति जैसी और जब आवश्यक हो दे सकेंगे.

(च) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए, यदि प्रक्रम वाहन मूल पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है तो अन्तर्राज्यीय मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(छ) यदि परिशिष्ट 'अ' में उद्धित मार्गों की दूरी के संबंध में कोई मतभेद पाया जाता है तो वह दोनों राज्यों के बीच पत्र व्यवहार के माध्यम से सुधार लिया जाएगा और यह करार के उपान्तरण के रूप में नहीं माना जाएगा.

(ज) इस करार के प्रभावशील के समय जो परमिट अस्तित्व में है उन्हें परिशिष्ट 'अ' में सहमत मार्गों के विरूद्ध जारी किया गया माना जाएगा.

(झ) यदि मार्ग की दूरी 250 कि.मी. से अधिक है तो संचालित सेवाएं एक्सप्रेस सेवा के रूप में मानी जावेगी.

(ञ) ऐसे मामलों में प्रक्रम यात्री सेवा प्रतिदिन दो एकल फेरा परमिट स्वीकृत हो और गृह राज्य से संचालन प्रारम्भ होता हो तो उस यात्री वाहन को गृह राज्य में ही रात्रि विश्राम करना होगा.

(ट) सभी अंतर्राज्यीय मार्गो पर गृह राज्यों के प्रक्रम वाहनों को पारस्परिक राज्यों के प्रक्रम वाहनों पर समय चक्र में प्राथमिकता प्राप्त रहेगी.

2. स्थायी परमिट के अन्तर्गत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन :-
मोटर केब के लिए संविदा वाहन परमिट पर एक दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा. प्रतिहस्ताक्षर से आच्छादित मोटरकेब पारस्परिक राज्य के वाहन कर का भुगतान प्रतिहस्तरित राज्य के कराधान अधिनियम के अनुसार करेंगे.

3. अस्थायी परमिट के अन्तर्गत मोटरकेब संविदा वाहन का संचालन :-
मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत संख्या पर प्रतिबंध के बिना मोटरकेब के लिये, प्रत्येक माह अस्थायी परमिट एक वापसी फेरा हेतु, परिशिष्ट अन्तर्राज्यीय मार्ग के दो सिमान्तों को जोड़ने के लिए, बिना प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के जारी किये जायेंगे, पारस्परिक राज्य का वाहन कर अस्थायी परमिट की वैध समयावधि के लिए पारस्परिक राज्य को देय होगा.

4. स्थायी अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः-
निजी सेवा यानों को स्वीकृत स्थायी अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षरित राज्य वाहनों की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा तथा ऐसे वाहनों का मोटरयान कर प्रतिहस्ताक्षरित राज्य कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किया जावेगा.

5. अस्थाई अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत निजी सेवा यानों का संचालनः-
मोटरयार्न अधिनियम 1988 की धारा 87 के अन्तर्गत निजी सेवा यानों को अधिकतम 30 दिवस के लिए परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत किया जावेगा. चाहे निर्धारित अंतर्राज्यीय मार्ग के लिए हो या किसी स्थान के लिए और ऐसे अनुज्ञापत्र पर प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किए बिना स्वीकृत किए जा सकेगें, परन्तु करारकर्त्ता राज्य का मोटरयान कर उस राज्य के कराधान अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान करना होगा.

6. स्थायी परमिट के अन्तर्गत मालयान का संचालन :-

(क) प्रत्येक राज्य के मालयान परमिट पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत परमिट की संख्या पर प्रतिबंध के बिना प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा.

(ख) वाहन अपनी वापसी यात्रा में अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्हीं दो विन्दुओं के बीच उस राज्य के किसी स्थान व मार्ग पर माल को चढ़ाने व उतारने का कार्य नहीं करेगा.

परन्तु अग्रेषित यात्रा में पारस्परिक राज्य के किसी बिन्दु पर माल उतारने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु उस राज्य में कोई माल चढ़ाया नहीं जाएगा. ऐसे माल वाहनों का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृत के अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात् परमिट जारी करने के विवरण सहित संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जावेगा.

(ग) पारस्परिक एक दूसरे राज्य की माल वाहनें प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के अन्तर्गत संचालित होती है तो प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के लिए रुपये 6000/-प्रतिवर्ष वाहन कर देय होगा. कर का भुगतान न्यूनतम एक वर्ष के लिए अग्रिम में किया जावेगा, बशर्ते परमिट वैध हो एवं दोनों राज्य सहमति के आधार पर कर की दर में परिवर्तन कर सकते है तथा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य के अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में संग्रहित करने एवं उक्त बैंक ड्राफ्ट को परमिट जारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य के प्राधिकार को भेजा जायेगा.

(घ) यदि प्रतिहस्ताक्षर परमिटधारी कर का भुगतान पूर्व में भुगतान किये गये कर की वैधता समाप्त होने की तिथि से 2 माह के

अन्दर करने में असफल रहता है, तो प्रतिहस्ताक्षर निरस्त माना जाएगा और यदि वाहन स्वामी नवीनीकरण के लिए उपस्थित होता है तो रु. 1000/- जुर्माने की राशि भुगतान करने पर उसे अनुमति दी जाएगी.

(ड.) जो मालयान अपने मूल पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है, उसके परमिट पर प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी.

7. अस्थायी परमिट के अन्तर्गत मालयान का संचालन :-

प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी पारस्परिक राज्य की पूर्व सहमति के बिना मालयानों के लिए किसी भी संख्या में अस्थायी परमिट जारी कर सकेंगे. इस प्रकार जारी किया गया अस्थायी परमिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) मालयान का उपयोग अन्यनतः पारस्परिक राज्य की सीमा में पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल को चढ़ाने व उतारने के लिए नहीं किया जाएगा.

(ख) ऐसे माल वाहन का प्रतिहस्ताक्षरित राज्य का मोटरयान कर परमिट स्वीकृत करने वाले प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति के समय अग्रिम में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करने पश्चात् परमिट जारी करने के विवरण के साथ संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किया जायेगा.

8. सामान्य :-

(क) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (1) के अन्तर्गत पारस्परिक राज्य के कोरीडोर श्रेणी के मार्ग के लिए पारस्परिक राज्य का कर परमिट अनुसार निर्धारित दूरी के लिए गृह राज्य द्वारा लिया जाएगा एवं उक्त दूरी के कोरीडोर मार्ग के संबंध में पारस्परिक राज्य द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा.

(ख) पारस्परिक राज्य कर भुगतान प्राधिकार पत्र एवं इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित मोटरयान के परिचालक लायसेंस को मान्यता प्रदान करेंगे.

(ग) पारस्परिक राज्य के वाहन जो राज्य सरकार के स्वामित्व के हो, और जिनका उपयोग अनार्थिक उद्देश्य से किया जाता हो मोटरयान कर के भुगतान से पूर्णतः मुक्त होगें.

(घ) नवीन सड़क निर्माण की स्थिति में प्रक्रम वाहन को समझौते में उल्लेखित अन्तर्राज्यीय मार्ग के विचलित मार्ग से संचालन की अनुमति संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकार के अनुमोदन पश्चात् ही दी जाएगी.

(ड.) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित यात्री वाहनों में उल्लेखित प्रभेदक वोर्ड वाहन के सामने की ओर प्रदर्शित करेंगे जिस पर उड़िया एवं हिन्दी भाषा में मार्ग का स्थान एवं गंतव्य स्थल का उल्लेख होगा. प्रक्रम वाहनों में बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

(च) पारस्परिक राज्य एक दूसरे राज्य की प्रक्रम वाहन को अपने अधिसूचित बस स्टेण्ड में यात्री चढ़ाने एवं उतारने की अनुमति प्रदान करेंगे.

(छ) यह पारस्परिक करार तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक दोनों राज्यों के मध्य इसका पुनर्विलोकन न हो और एक नवीन करार प्रभावशील न हो जाए अथवा आपसी सहमति से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की सूचना देकर करार को विखण्डित नहीं कर दिया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

परिशिष्ट- "अ"

उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्राज्यीय मार्गों का विवरण-

स.क्र.	मार्ग का नाम	दूरी कि.मी. में		कुल योग	परमिट संख्या		फेरो की संख्या		कुल कि.मी. संचालित		सेवा का प्रकार
		उड़ीसा	छत्तीसगढ़		उड़ीसा	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ द्वारा उड़ीसा में	उड़ीसा द्वारा छत्तीसगढ़ में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आउल से भिलाई व्हाया चण्डीखोल, कटक, संबलपुर सुहेला	472	209	681	2	2	2	2	944	418	एक्सप्रेस
2	बरगढ़ से बिलासपुर व्हाया सांरगढ़, भटगांव, शिवरीनारायण	120	159	279	2	2	2	2	240	318	एक्सप्रेस
3	बरगढ़ से कोरबा व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, चांपा	120	175	295	1	2	1	2	240	175	एक्सप्रेस
4	बरगढ़ से रायगढ़ व्हाया भटली, नवपड़ा, चन्द्रपुर	92	87	179	4	4	8	8	736	696	साधारण
5	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सोहेला, सरिया	46	181	227	2	2	4	4	184	724	साधारण
6	बरगढ़ से रायपुर व्हाया सारंगढ़, रूचदा, सरिया	52	87	139	2	2	4	4	208	348	साधारण
7	बरगढ़ से शक्ति व्हाया सरिया, चन्द्रपुर, खरियार	76	120	196	2	2	4	4	304	480	साधारण
8	बारीपड़ा से रायपुर व्हाया केंवझर, सम्बलपुर, लोहरछटी	355	181	536	2	2	2	2	710	362	एक्सप्रेस
9	बरपाली से रायपुर व्हाया बरगढ़ लोहरछटी, बसना, आरंग	128	181	309	2	2	2	2	256	362	एक्सप्रेस
10	बेलपहाड़ से अम्बिकापुर व्हाया रायगढ़	45	214	259	2	2	2	2	90	428	एक्सप्रेस
11	बरहमपुर से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, जगदलपुर	404	150	554	2	2	2	2	808	300	एक्सप्रेस
12	बरहमपुर से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द, आरंग	473	109	582	4	2	4	2	946	436	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	भवानीपटना से जगदलपुर व्हाया जुनागढ़, नवरंगपुर, कोटपाड, चांदली	384	22	406	2	2	2	2	768	44	एक्सप्रेस
14	भवानीपटना से रायपुर व्हाया धरमगढ़, देवभोग	80	229	309	2	2	2	2	160	458	एक्सप्रेस
15	भीखमपाली से शाना (आस्था) व्हाया कनकतोरा, रायगढ़, पत्थलगांव, कुनकुरी	36	199	235	2	2	4	4	144	796	साधारण
16	भुनेश्वर से भिलाई व्हाया कटक, धनकेनाल, संबलपुर, लोहरछटी	422	209	631	2	2	2	2	844	418	एक्सप्रेस
17	भदरक से रायपुर व्हाया केंवझर, लोहरछटी	400	181	581	2	0	2	0	0	362	एक्सप्रेस
18	भुनेश्वर से दुर्ग व्हाया कटक, धनकनाल, संबलपुर, बरगढ़, लोहरछटी, रायपुर, भिलाई	422	235	657	2	0	2	0	0	470	एक्सप्रेस
19	बिलासपुर से बरहमपुर व्हाया, रायपुर, महासमुन्द, भवानीपटना	338	227	565	2	2	2	2	676	454	एक्सप्रेस
20	बंलागीर से रायपुर व्हाया बरगढ़, सोहेला, संरायपली	195	181	376	2	2	2	2	390	362	एक्सप्रेस
21	भवानीपटना से रायपुर व्हाया खरियार	130	109	239	2	2	2	2	260	218	साधारण
22	भवानीपटना से दुर्ग व्हाया खरियार, रायपुर	130	149	279	2	2	2	2	260	298	एक्सप्रेस
23	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया बोरीगुमा	121	60	181	2	1	4	2	242	240	साधारण
24	दामनजोड़ी से जगदलपुर व्हाया चांदली	121	21	142	2	2	4	4	484	84	साधारण
25	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया कोरापुर, ज्योपुर, बोरीगुमा, धनपुजी, जगदलपुर, कांकेर	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	एक्सप्रेस
26	दामनजोड़ी से रायपुर व्हाया सोनबेड़ा, कोरपुट, ज्योपुर, उमरकोट	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	धरमगढ़ से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड़, महासमुन्द, आरंग	205	109	314	4	4	4	4	820	436	एक्सप्रेस
28	हाथीबांधा से रायपुर व्हाया खरियाररोड़	115	109	224	2	2	4	4	460	436	साधारण
29	जगदलपुर से धमतरी व्हाया करपावंट, सिनसारी, उमरकोट, रायगढ़ा	120	166	286	2	2	2	2	240	332	एक्सप्रेस
30	जगदलपुर से सीनापाली व्हाया धरमगढ़, नवरंगपुर, आमपानी, जुनागढ़	195	21	216	2	2	2	2	390	42	साधारण
31	जरीगांव से जगदलपुर व्हाया अनवारी, चांदली	75	21	96	2	2	4	4	300	84	साधारण
32	जरीगांव से जगदलपुर व्हाया चांदली	114	21	135	2	2	4	4	456	84	साधारण
33	झारसुगड़ा से कुनकुरी व्हाया पाली सांकरा, तपकरा	88	45	133	1	1	2	2	176	90	साधारण
34	झारसुगड़ा से रायपुर व्हाया सम्बलपुर, बरगढ़, लोहरचांटी, सरायपाली	145	181	326	1	1	1	1	145	181	एक्सप्रेस
35	झारसुगड़ा से जशपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुनकुरी	88	86	174	2	2	4	4	352	344	साधारण
36	जयपुर से जगदलपुर व्हाया चांदली	65	21	86	2	2	8	8	520	168	साधारण
37	जयपुर से जगदलपुर व्हाया	130	21	151	2	2	4	4	520	84	साधारण
38	जयपुर से रायपुर व्हाया जगदलपुर, कोटपाट, चांदली	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	एक्सप्रेस
39	जयपुर से रायपुर व्हाया नवरंगपुर. उमरकोट, कोण्डागांव	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	एक्सप्रेस
40	झारसुगड़ा से अम्बिकापुर व्हाया पत्थलगांव, लावाकेरा	88	200	288	2	2	2	2	176	400	एक्सप्रेस
41	झारसुगड़ा से चिरमिरी व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, तपकरा, कुनकुरी, पत्थलगांव	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	झारसुगड़ा से मनेन्द्रगढ़ व्हाया सुन्दरगढ़, सबडेगा पत्थलगांव, अम्बिकापुर	88	296	384	2	2	2	2	176	592	एक्सप्रेस
43	कांटाभांजी से रायपुर व्हाया नवपदा, महासमुन्द	230	109	339	2	2	2	2	460	218	एक्सप्रेस
44	खरियार से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियाररोड, महासमुन्द	180	109	289	2	2	2	2	360	218	एक्सप्रेस
45	कोण्डागांव से उमरकोट व्हाया रायघर	22	32	54	2	2	8	8	176	280	साधारण
46	कोरापुट से रायपुर व्हाया जयपुर, नरंगपुर, उमरकोट, दन्डसरा, कांकेर, धमतरी	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	एक्सप्रेस
47	कोरापुर से रायपुर व्हाया जयपुर, कोटपाट, चांदली, जगदलपुर, कांकेर	90	222	312	4	4	4	4	360	1288	एक्सप्रेस
48	कुचीन्दा से रायगढ़ व्हाया ब्रजराजनगर, भीखमपल्ली, कनकतोरा, रेगारपाली	227	8	235	2	2	2	2	454	36	साधारण
49	लड्डूगांव से जगदलपुर व्हाया चांदली	105	21	126	1	1	2	2	210	42	साधारण
50	लिकमा से जगदलपुर व्हाया चांदली	85	21	106	2	2	4	4	340	84	साधारण
51	मलकानगिरी से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, कोटपाद, चांदली	220	21	241	2	2	2	2	440	42	साधारण
52	मुर्खीगुड़ा से रायपुर व्हाया भवानीपटना, खरियार	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	एक्सप्रेस
53	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया ज्योपुर, चांदली	60	80	140	2	2	4	4	240	320	साधारण
54	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया चांदली	115	105	220	2	2	4	4	460	420	साधारण
55	नवरंगपुर से कांकेर व्हाया उमरकोट	165	58	223	2	2	4	4	660	232	साधारण
56	नरसिंगनाथ से रायपुर व्हाया नवपदा, खरियाररोड, महासमुन्द	104	107	211	2	2	4	4	416	428	साधारण
57	पद्मपुर से रायपुर व्हाया पैकमल, नवपदा, खरियाररोड	160	109	269	2	2	4	4	640	436	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	पारालाखेमुंडी से बैलाडीला व्हाया ज्योपुर, कोरापुट, जगदलपुर	340	150	490	2	2	2	2	680	300	एक्सप्रेस
59	पटनागढ़ से रायपुर व्हाया पद्मपुर, खरियार	248	200	448	2	2	2	2	496	400	एक्सप्रेस
60	फुलवानी से रायपुर व्हाया बंलागीर, बरगढ़, सरायपाली	290	181	471	2	2	2	2	580	362	एक्सप्रेस
61	पुरी से भिलाई व्हाया कटक, धनकानाल, संबलपुर, रायपुर	482	216	698	2	2	2	2	964	432	एक्सप्रेस
62	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धरमगढ़	80	299	379	2	2	2	2	160	598	एक्सप्रेस
63	राजनांदगांव से कांटाभांजी व्हाया रायपुर, महासमुन्द, खरियार	80	179	259	2	2	2	2	160	358	एक्सप्रेस
64	राउरकेला से कुनकुरी व्हाया राजगांगपुर, सुबडेगा, लावाकेरा, तपकरा	147	45	192	0	1	0	2	294	0	साधारण
65	राउरकेला से अम्बिकापुर व्हाया सुबडेगा	147	270	417	2	2	2	2	294	540	एक्सप्रेस
66	राउरकेला से भिलाई व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	293	213	506	2	2	2	2	586	426	एक्सप्रेस
67	राउरकेला से जसपुरनगर व्हाया सुन्दरगढ़, तेलीझोर, कुनकुरी	204	86	290	2	2	2	2	408	172	एक्सप्रेस
68	राउरकेला से रायगढ़ व्हाया वृजराजनगर, झारसुगड़ा	168	27	195	2	1	4	2	336	168	साधारण
69	राउरकेला से रायपुर व्हाया संबलपुर, लोहरचांटी	283	181	464	2	2	2	2	566	362	एक्सप्रेस
70	रायपुर से एरलागांव व्हाया रायघर, उमरकोट	73	186	259	2	2	2	2	146	372	एक्सप्रेस
71	राजाखरियार से रायपुर व्हाया महासमुन्द	185	109	294	2	2	2	2	370	218	एक्सप्रेस
72	संबलपुर से अम्बिकापुर व्हाया बरगढ़, पत्थलगांव	90	215	305	2	2	2	2	180	430	एक्सप्रेस
73	संबलपुर से कोरबा (बाल्को) व्हाया बरगढ़, लोहरछटी, सारंगढ़, चन्द्रपुर, शक्ति	90	175	265	2	2	2	2	180	350	एक्सप्रेस
74	संबलपुर से सारंगढ़ व्हाया बिरनापाली	80	80	160	2	2	4	4	320	320	साधारण
75	संबलपुर से रायपुर व्हाया बरगढ़, लोहरछटी	101	181	282	6	6	12	12	1212	2172	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	संबलपुर से बिलासपुर व्हाया शिवरीनारायण, सांरगढ़	164	239	403	4	4	4	4	656	956	एक्सप्रेस
77	संबलपुर से रायगढ़ व्हाया झारसुगड़ा, कनकतोरा	132	18	150	2	2	4	4	528	72	साधारण
78	सुन्दरगढ़ से रायगढ़ व्हाया गोपालपुर, तपारिया	72	24	96	1	1	2	2	144	48	साधारण
79	सुन्दरगढ़ से बिलासपुर व्हाया झारसुगड़ा, कनकतोरा, रायगढ़, सांरगढ़	105	108	213	2	2	2	2	210	360	एक्सप्रेस
80	उमरकोट से जगदलपुर व्हाया चांदली	126	21	147	2	2	4	4	504	84	साधारण
81	बरगढ़ से सारंगढ़ व्हाया रूसदा, सरिया	52	35	87	1	1	2	2	104	70	साधारण
82	पुरी से रायपुर व्हाया भुवनेश्वर, सोनेपुर, बलांगीर, बरगढ़ सरायपाली	507	181	688	4	2	4	2	1014	724	एक्सप्रेस
83	राजनांदगांव से भवानीपटना व्हाया रायपुर, गरियाबंद, देवभोग, धरमगढ़	80	299	379	2	4	2	4	320	598	एक्सप्रेस
84	सम्बलपुर से रायगढ़ व्हाया भीमापाली, सारंगढ़	80	132	212	2	4	2	4	320	264	साधारण
85	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्डातरई, चिखली, चन्द्रपुर, बिरनापाली, सोहेलाबायपास	46	91	137	1	1	2	2	92	182	साधारण
86	रायगढ़ से बरगढ़ व्हाया कोण्डातरई, चन्द्रपुर, बरमकेल, भुक्ता, भटली	46	69	115	1	1	2	2	92	138	साधारण
87	रायपुर से राउरकेला व्हाया सरायपाली, सारंगढ़	168	269	437	2	4	2	4	672	538	एक्सप्रेस
88	कोरापुट से कांकेर व्हाया ज्यौपुर, जगदलपुर	87	179	266	2	4	2	4	348	358	एक्सप्रेस
89	नवरंगपुर से कांकेर	115	58	173	4	2	4	2	230	232	साधारण
90	मलकानगिरी से जगदलपुर	169	21	190	6	2	6	2	338	126	साधारण
91	रायपुर से सोहेला व्हाया बंजारीनाका	8	200	208	1	4	1	4	32	200	साधारण
92	बिलासपुर से सम्बलपुर व्हाया सारंगढ़, सरायपाली	99	192	291	2	4	2	4	396	384	एक्सप्रेस
93	रायगढ़ से राउरकेला व्हाया झारसुगड़ा	138	27	165	6	2	6	2	276	162	साधारण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	बसना से पदमपुर	21	21	42	4	4	8	8	168	168	साधारण
95	सरायपाली से पदमपुर	20	20	40	4	4	8	8	160	160	साधारण
96	मलकानगिरी से जगदलपुर व्हाया सुकुमा	135	25	160	4	4	8	8	1080	200	साधारण
97	झरीगांव से जगदलपुर व्हाया अनवारी	175	25	200	4	4	8	8	1400	200	साधारण
98	धमतरी से जगदलपुर व्हाया रायगढ़ा	200	25	225	4	4	8	8	1600	200	साधारण
99	जगदलपुर से सिनापाली व्हाया बेहरा, देवभोग	160	25	185	4	4	8	8	1280	200	साधारण
100	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया कोसागुमुड़ा, अनवारी	65	85	150	4	4	8	8	520	680	साधारण
101	कालीमेला से जगदलपुर व्हाया सुकुमा, मलकानगिरी	65	25	90	4	4	8	8	520	200	साधारण
102	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया गिरला, कोटपाट, चांदली	50	25	75	4	4	8	8	400	200	साधारण
103	कोटपाट से जगदलपुर	35	25	60	4	4	16	16	560	400	साधारण
104	राजनांदगांव से दामनजोड़ी व्हाया सोनाबेड़ा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	130	299	429	2	2	2	2	260	598	एक्सप्रेस
105	दुर्ग से मलकानगिरी व्हाया जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	165	240	405	2	2	2	2	330	480	एक्सप्रेस
106	कोंडागांव से उमरकोट व्हाया रायगढ़ा	45	80	125	2	2	4	4	180	320	साधारण
107	सम्बलपुर से भिलाई व्हाया लोहरचट्टी	105	230	335	2	2	4	4	420	920	एक्सप्रेस
108	बरगढ़ से सरायपाली व्हाया लोहरचट्टी	60	30	90	2	2	4	4	240	120	साधारण
109	दन्तेवाड़ा से मलकानगिरी व्हाया जगदलपुर, बोरीगुमा	160	60	220	2	2	4	4	640	240	साधारण
110	लड्डूगांव से जगदलपुर व्हाया नवरंगपुर, बोरीगुमा, चांदली	150	25	175	2	2	4	4	600	100	साधारण
111	नवरंगपुर से जगदलपुर व्हाया पापहाण्डी, कोडींगा, कोसागुमुड़ा, अनवारी	90	25	115	2	2	4	4	360	100	साधारण
112	नवरंगपुर से भोपालपटनम	70	65	135	2	2	4	4	280	160	साधारण
113	कोसागुमुड़ा से जगदलपुर व्हाया अनवारी	90	65	155	2	2	4	4	360	260	साधारण
114	साडरेन्गा से जगदलपुर	85	35	120	2	2	4	4	340	140	साधारण
115	जगदलपुर से मोटू व्हाया जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	280	25	305	2	2	4	4	1120	100	एक्सप्रेस

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	बेहरामपुर से जगदलपुर व्हाया केवीलाईन, रायगदा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	390	25	415	2	2	2	2	780	50	एक्सप्रेस
117	पारलखेमुंडी से जगदलपुर व्हाया रायगदा, कोरापुट, जैपुर, बोरीगुमा, चांदली	330	25	355	2	2	2	2	660	50	एक्सप्रेस
118	ज्योपटना से जगदलपुर व्हाया नवरंगपुर, चांदली	180	25	205	2	2	4	4	720	100	साधारण
119	भवानीपटना से दुर्ग	165	90	255	2	2	4	4	660	360	एक्सप्रेस
120	रायपुर से राजाखरियार	100	160	260	2	2	4	4	400	640	एक्सप्रेस
121	सरायपाली से बरगढ़	60	35	95	2	2	4	4	240	140	साधारण
122	ऐरलागांव से धमतरी	85	75	160	2	2	4	4	340	300	साधारण
123	झारसुगुड़ा से पाटलगांव व्हाया तुमला, कोटबा	60	75	135	2	2	4	4	240	300	साधारण
124	अंबिकापुर से पुरी व्हाया झारसुगुड़ा	404	250	654	2	2	2	2	808	500	एक्सप्रेस
125	बरगढ़ से सांकरा	57	80	137	2	2	4	4	228	320	साधारण
126	बरगढ़ से सिंघोड़ा व्हाया सरायपाली	57	50	107	2	2	4	4	228	200	साधारण
127	धूरी से कोरबा व्हाया झारसुगुड़ा, रायगढ़	425	300	725	2	2	2	2	850	600	एक्सप्रेस
128	नयागढ़ से रायपुर व्हाया चैचक, बंध, सोनपुर, बिनका, बरगढ़, सोहेला	277	181	458	2	2	2	2	554	362	एक्सप्रेस
129	झारसुगुड़ा से पत्थलगांव व्हाया सबडेगा, तेलीझोर, तपकरा कुनकुरी	85	86	174	2	2	4	4	352	344	साधारण

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ-5-58/दो/आठ-परि./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-10-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No F-5-58/Two/Eight-Trans./08.—The following Reciprocal Agreement of the nature referred to in sub-section (5) of Section 88 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) arrived at between the Government of Chhattisgarh and Orissa after following the due procedure is hereby published as required vide sub-section (6) of Section 88 of the Motor Vehicles Act,1988.

And whereas, the Government of Chhattisgarh and Government of Orissa received several representations for introduction of new services connecting Chhattishgarh and Orissa and Vice-versa.

And whereas, the proposed Reciprocal Agreement between the States of Chhattisgarh and State of Orissa for the operation of Stage Carriage services, Contract Carriage, Private Service and Goods Carriage has been proposed and the agreement between both States for Interstate routes under Motor Vehicle Act, 1988 section 88 Sub-section (5) (Central Rules 59/1988) and vide Notification No. F 5-58/Two/Eight-Tran./04, dated 14th October 2005 Suggestions and Objections has been invited and again the revised Notification No. F-1632/Tran./T.C./08, dated 08th August 2008 was published and suggestion and objection has been invited. On 16th September 2008, the Principal Secretary, Chhattisgarh Government heard the Objections and Suggestions and accordingly decided them.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) the Government of Chhattisgarh hereby publishes the following agreement arrived at between the State of Chhattisgarh and State of Orissa.

The Agreement shall come in to force with effect from published in this gazette.

1. **Stage Carriage permits :-**

(a) Unless there is anything repugnant to the subject or context, inter-state routes agreed for stage carriages shall mean the routes as agreed upon and number of trips and number of permits shall be as Annexure " A"

(b) A stage carriage of respective state shall pay motor vehicle taxes as per taxation Act of the respective state in respect of the portion falling in the state.

(c) The fares and freight chargeable by the operator in the reciprocating state shall be as approved by the countersigning Authority of that state. The tickets issued by the one state shall be valid in the reciprocating state.

(d) Till the substantive permits on the routes mentioned in the Annexure "A" hereto are granted by the respective Transport Authorities, temporary permits to the nominees of the respective States shall be issued by the Transport Authorities of that State and shall be countersigned by the Transport Authorities of the reciprocating state.

The tax chargeable on temporary permits issued on the agreed routes within agreed trips shall be same as charged for substantive permits on the agreed routes.

(e) The Transport Authority of the reciprocating State may accord general concurrence under section 88 (7) of the said Act for issue of temporary permit as and when required.

(f) For the safety and convenience of passengers, the stage carriage shall not be allowed to ply on interstate routes, if, it is more then 10 years of age from the date of its initial registration.

(g) If any discrepancy is found in the distances of routes shown in the Annexure "A" the same shall be corrected through correspondence between the states and it shall not be treated as modification in the agreement.

(h) The permits in existence on the commencement of this agreement shall be deemed to be issued against the agreed routes in Annexure "A".

(i) In the total length of the route is more than 250 Km, the stage carriage shall be express.

(j) In case of a stage carriage two trips per day, the stage carriage shall start its journey from the home State and shall make night halt in the home State.

(k) On all inter state routes, the stage carriages of the home state shall have precedence in timings over the stage carriages of the reciprocating state.

2. **Contract Carriage operation of motor-cabs & maxi-cabs on Substantive permits :-**
The contract carriage permits for motor cab & maxi-cab shall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State with out any restriction on numbers. The motor-cab 7 maxi-cab shall pay the motor vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

3. **Contract Carriage operation of motor-cabs & maxi-cabs on Temporary Permits :-**
Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 may be issued for motor-cabs & maxi-cabs for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for single return trip for a specified inter-state route, connecting specified terminus without countersignature. The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permit so issued may be valid.

4. **Operation of Private Service Vehicles on Substantive Permits :-**
The permits for private service vehicle shall be countersigned by the Transport Authority of the reciprocating state without any restriction on numbers. The private service vehicle shall pay the motor vehicle tax as per taxation Act of the respective State.

5. **Operation of Private Service Vehicles on Termporary Permits :-**
Any number of temporary permits under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988 may be issued for private service vehicles for a maximum period of one month by the Transport Authority of either State for a specified inter-state route, connecting specified terminus without countersignature. The motor vehicle tax shall be payable to the reciprocating State for the period for which the temporary permits so issued may be valid.

6. **Goods Carriage Operation on Substantive Permits :-**

(a) The goods carriage permits of each State shall be countersigned by the Transport Authority of the other State in accordance with the provisions of sub-section 88 of the said Act without any restriction on the number of such permits.

(b) The vehicles shall not on their return Forney pick-up any goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating state for setting down such goods at any place or route in that State.

Provided that on the forward journey there shall be no restriction on setting down goods anywhere in the reciprocating State but no goods shall be picked up in that State.

(c) The goods carriages of respective State plying on substantive permit countersigned by State Transport Authority of reciprocating state shall be liable to pay tax Rs. 6000/- for minimum one year in advance for which authorization shall be issued subject to validity of substantive primary permit. Both the States may revise this tax rate mutually as and when required. Tax due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the state Transport Authority of the reciprocating State along with a statement of permits issued.

(d) If the countersignature holders fail to pay tax due within 2 months from the date of expiry of the period for which the tax was last paid, the countersignature shall be demand to be cancelled and if the owner appears for renewal of authorization, it may be allowed on payment of fine of Rs.1000/-.

(e) No countersignature on the permits shall be granted to a goods carriage which is 12 years old or more from the date of initial registration.

7. **Goods Carriage Operation on Temporary Permit :-**
Transport Authority of either State without prior concurrence of the reciprocating State shall issue any number of temporary permit for goods carriages. Temporary permit so issued shall be subject to the following conditions :-

(a) That the vehicle shall not be used for picking up and setting down goods between any two points lying exclusively within the jurisdiction of the reciprocating state.

(b) That the vehicle shall be liable to pay the motor vehicle tax in advance to the reciprocating state. Tax due to the reciprocating state shall be collected in shape of bank draft by the permit granting authority and same will be sent to the State along with a statement to permits issued.

8. **General:-**
(a) The motor vehicle tax of the reciprocating state in respect of corridor (enclave portion as per second proviso to section 88(1) of M.V. Act, 1988) in reciprocating state shall be charged by the home state for the distance covered as per permit and no tax shall be charged by the reciprocating state in respect of the corridor for that distance.

(b) The reciprocating State shall accord recognition to tax payments, authorization, and conductor licenses for motor vehicles plying on the inter-state routes in accordance with this agreement.

(c) The vehicles owned by the Government of reciprocating State used for non-commercial purpose shall be totally exempted from payment of motor vehicles tax in the reciprocating State.

(d) The stage carriage shall be permitted to divert their service on inter-state routes specified in the agreement in case of construction of new road subject to the approval of concerned State Transport Authority.

(e) Each stage carriages shall carry a bilingual board written in Oriya and Hindi indicating terminus points of the inter-state route.

(f) Both the reciprocating states shall allow the stage carriages of the other state to take up and settle down the passengers from their respective notified bus terminals.

(g) This agreement shall remain in force until it is reviewed and a new agreement comes into force of until it is rescinded or modified by mutual consent on three months notice by either side.

On behalf of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK JUNEJA, Special Secretary.

ANNEXURE-A

INTER-STATE ROUTES BETWEEN ORISSA AND CHHATTISGARH

No.	NAME OF ROUTES	Distance in Orissa	Distance in Chhattisgarh	Total Distance	No of Permits		No of Trips		Total kms Covered		Nature of Service
					Orissa	Chhattisgarh	Orissa	Chhattisgarh	Chhattisgarh in Orissa	Orissa in Chhattisgarh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aul to Bhilai via Chandikho , Cuttack, Sambalpur & Sohela	472	209	681	2	2	2	2	944	418	Express
2	Bargarh to Bilaspur Via Saria, Sarangarh, Bhatgaon, Seorinarayan	120	159	279	2	2	2	2	240	318	Express
3	Bargarh to Korba Via Saria, Chandrapur Champa.	120	175	295	1	2	1	2	240	175	Express
4	Bargarh to Raigarh Via Bhatli, Nuapada, Chandrapur	92	87	179	4	4	8	8	736	696	Ordinary
5	Bargarh to Raipur Via Sohela, Saria	46	181	227	1	2	2	4	184	362	Ordinary
6	Bargarh to Raigarh Via Sarangarh, Ruchida, Saria	52	87	139	2	2	4	4	208	348	Ordinary
7	Bargarh to Shakti Via Saria, Chandrapur, Khariyar.	76	120	196	2	2	4	4	304	480	Ordinary
8	Baripada to Raipur Via Keonjhar, Smbalpur, Luharchati	355	181	536	2	2	2	2	710	362	Express
9	Barpali to Raipur Via Bargarh, Luharchati, Basna, Aranga.	128	181	309	2	2	2	2	256	362	Express
10	Belpahad to Ambikapur Via Raigarh	45	214	259	2	2	2	2	90	428	Express
11	Berhampur to Bailadilla Via Jaypore, Jagdalpur	404	150	554	2	2	2	2	808	300	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Berhampur to Raipur Via Bhawanipatna, Khariyar Road, Mahasamund, Arang	473	109	582	4	2	4	2	946	436	Express
13	Bhawanipatna to Jagdalpur Via Junagarh, Nawrangpur, Kotpad, Chandili	384	22	406	2	2	2	2	768	44	Express
14	Bhawanipatna to Raipur Via Dharamgarh, Deobhog	80	229	309	2	2	2	2	160	458	Express
15	Bhikampali to Sana (Astha) Via Kanaktora, Raigarh, Pathàlgao, Kunkuri	36	199	235	2	2	4	4	144	796	Ordinary
16	Bhubaneswar to Bhilai Via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Luharchati	422	209	631	2	2	2	2	844	418	Express
17	Bhadrak to Raipur Via Keonjhar, Loharchati	400	181	581	2	0	2	0	0	362	Express
18	Bhubaneswar to Durg via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Bargarh	422	235	657	2	0	2	0	0	470	Express
19	Bilaspur to Berhampur Via Raipur, Mahasamund, Bhawanipatna	338	227	565	2	2	2	2	676	451	Express
20	Bolangir to Raipur Via Bargarh, Sohela, Saraipali	195	181	376	2	2	2	2	390	362	Express
21	Bhawanipatna to Raipur Via Khariar	130	109	239	2	2	2	2	260	218	Ordinary
22	Bhawanipatna to Durg Via Khariar, Raipur	130	149	279	2	2	2	2	260	298	Express
23	Damanjodi to Jagdalpur Via Boriguma.	121	60	181	2	1	4	2	242	240	Ordinary
24	Damanjodi to Jagdalpur Via Chandili	121	21	142	2	2	4	4	484	84	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Damanjodi to Raipur Via Koraput, Jeypore, Boriguma, Dhanpunjee, Jagdalpur, Kanker	193	318	511	6	6	6	6	1158	1908	Express
26	Damanjodi to Raipur Via Sunabeda, Korapur, Jeypore, Umarkot.	193	270	463	4	4	4	4	772	1080	Express
27	Dharamgarh to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar Road, Mahasamund, Arang.	205	109	314	4	4	4	4	820	436	Express
28	Hatibandha to Raipur Via Khariar Road	115	109	224	2	2	4	4	460	436	Ordinary
29	Jagdalpur to Dhamtari Via Karpawand, Sinsari, Umarkot, Raygada.	120	166	286	2	2	2	2	240	332	Express
30	Jagdalpur to Sinapali Via Dharamgarh, Nawrangpur, Ampani, Junagarh	195	21	216	2	2	2	2	390	42	Ordinary
31	Jarigaon to Jagdalpur Via Anwari, Chandili.	75	21	96	2	2	4	4	300	84	Ordinary
32	Jarigaon to Jagdalpur Via Chandili.	114	21	135	2	2	4	4	456	84	Ordinary
33	Jharsuguda to Kunkuri Via Balisankara, Tapkara.	88	45	133	1	1	2	2	176	90	Ordinary
34	Jharsuguda to Raipur Via Sambalpur, Bargarh, Loharchati, Saraipali	145	181	326	1	1	1	1	145	181	Express
35	Jharsuguda to Jaspurnagar Via Sundergarah, Telijore, Taparia, Kunkuri	88	86	174	2	2	4	4	352	344	Ordinary
36	Jeypore to Jagdalpur Via Chandli	65	21	86	2	2	8	8	520	168	Ordinary
37	Jeypore to Jagdalpur	130	21	151	2	2	4	4	520	84	Ordinary
38	Jeypore to Raipur Via Jagdalpur, Kotpad, Chandili	300	250	550	4	4	4	4	1200	1000	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Jeypore to Raipur Via Nawrangpur, Umarkot, Kondagaon	126	270	396	4	4	4	4	504	1080	Express
40	Jharsuguda to Ambikapur Via Pathalgaon, Lawakera	88	200	288	2	2	2	2	176	400	Express
41	Jharsuguda to Chirimiri Via Sundardarh, Telijore, Tapkara, Kunkuri, Pathalgaon	88	315	403	4	4	4	4	352	1260	Express
42	Jharsuguda to Manendragarh via Sundargarh, Subdega, Pathalgaon, Ambikapur	88	296	384	2	2	2	2	176	592	Express
43	Kantabanji to Raipur Via Nunapada,Mahasamund	230	109	339	2	2	2	2	460	218	Express
44	Khariar to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar Road, Mahasamund	180	109	289	2	2	2	2	360	218	Express
45	Kondagaon to Umarkot via Raighar	22	35	57	2	2	8	8	176	280	Ordinary
46	Koraput to Raipur via Jeypore, Nawarangpur, Umarkot Dansara, kanker, Dhamtari	150	255	405	4	4	4	4	600	1020	Express
47	Korapur to Raipur via Jeypore, Kotpad, chandili, Jagdalpur, Kanker	90	322	412	4	4	4	4	360	1288	Express
48	Kuchinda to Raigarh via Brajrajnagar, Bhikampali, Kanaktora, Rengarpali,	227	18	245	2	2	2	2	454	36	Ordinary
49	Ladugaon to Jagdalpur Via Chandili	105	21	126	1	1	2	2	210	42	Ordinary
50	Likma to Jagdalpur Via Chandili	85	21	106	2	2	4	4	340	84	Ordinary
51	Malkangiri to Jagdalpur Via Jeypore, Kotpad, Chandili	220	21	241	2	2	2	2	440	42	Ordinary
52	Mukhiguda to Raipur Via Bhawanipatna, Khariar	263	250	513	4	4	4	4	1052	1000	Express
53	Nawrangpur to Jagdalpur Via Jeypore, Chandili	60	80	140	2	2	4	4	240	320	Ordinary
54	Nawrangpur to Kanker Via Chandili	115	105	220	2	2	4	4	460	420	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Nawrangpur to Kanker Via Umerkote	165	58	223	2	2	4	4	660	232	Ordinary
56	Narsinghnath to Raipur Via Nuapada Khariar Road, Mahasamund	104	107	211	2	2	4	4	416	428	Ordinary
57	Padampur to Raipur Via Paikmal, Nuapada, Khariar Road	160	109	269	2	2	4	4	640	436	Express
58	Paralakhemundi to Bailadila Via Jeypore Koraput, Jagdalpur.	340	150	490	2	2	2	2	680	300	Express
59	Patnagarh to Raipur via Padampur, Khariar	248	200	448	2	2	2	2	496	400	Express
60	Phulbani to Raipur Via Bolangir, Bargarh, Saraipali.	290	181	471	2	2	2	2	580	362	Express
61	Puri to Bhilai Via Cuttack, Dhenkanal, Sambalpur, Luharchati, Raipur.	482	216	698	2	2	2	2	964	432	Express
62	Rajnandgaon to Bhawanipatana Via Raipur, Gariyaband, Deobhog, Dharamgarh	80	299	379	2	2	2	2	160	598	Express
63	Rajnandgaon to Kantabanji Via Raipur, Mahasamund, Khariar	80	179	259	2	2	2	2	160	358	Express
64	Rourkela to Kunkuri Via Rajgangpur,Subdega, Lawakera, Tapkara	147	45	192	0	1	0	2	294	0	Ordinary
65	Rourkela to Ambikapur Via Subdega	147	270	417	2	2	2	2	294	540	Express
66	Rourkela to Bhailai Via Sambalpur, Luharchati.	293	213	506	2	2	2	2	586	426	Express
67	Rourkela to Jaspurnagar Via Sundargarh, Telijore, Kunkuri	204	86	290	2	2	2	2	408	172	Express
68	Rourkela to Raigarh Via Brajrajnagar, Jharsuguda	168	27	195	2	1	4	2	336	108	Ordinary
69	Rourkela to Raipur Via Sambalpur, Loharchatti	283	181	464	2	2	2	2	566	362	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Raipur to Erlagaon Via Raighar, Umerkote	73	186	259	2	2	2	2	146	372	Express
71	Rajakhariar to Raipur Via Mahasamund	185	109	294	2	2	2	2	370	218	Express
72	Sambalpur to Ambikapur Via Bargarh, Pathalgon	90	215	305	2	2	2	2	180	430	Express
73	Sambalpur to Korba (Balko) Via Bargarh, Luharchati, Sarangarh, Chandarpur, Shakti	90	175	265	2	2	2	2	180	350	Express
74	Sambalpur to Sarangarh Via Birnapali	80	80	160	2	2	4	4	320	320	Ordinary
75	Sambalpur to Raipur Via Bargarh, Luharchatti	101	181	282	6	6	12	12	1212	2172	Express
76	Sambalpur to Bilaspur Via Seorinarayan, Sarangarh	164	239	403	4	4	4	4	656	956	Express
77	Sambalpur to Raigarh Via Jharsuduga, Kananktora	132	18	150	2	2	4	4	528	72	Ordinary
78	Sudargarh to Raigarh Via Gopalpur, Taparia	72	24	96	1	1	2	2	144	48	Ordinary
79	Sundargarh to Bilaspur Via Jharsuguda, Kanktora, Raigarh, Sarangarh	105	180	285	2	2	2	2	210	360	Express
80	Umerkote to Jagdalpur Via Chandili	126	21	147	2	2	4	4	504	84	Ordinary
81	Bargarh to Sarangarh Via Ruchida, Saria	52	35	87	1	1	2	2	104	70	Ordinary
82	Puri to Raipur Via Bhubneshwar, Sonepur, Balangir, Bargarh, saripali	507	181	688	4	2	4	2	1014	724	Express
83	Rajnandgaon to Bhawanipatana Via Raipur, Gariyaband, Deobhog, Dharamgarh	80	299	379	2	4	2	4	320	598	Express
84	Sambalpur to Raigarh Via Bhimapali, Sarangarh	80	132	212	2	4	2	4	320	264	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Raigarh to Bargarh Via Kondatarai, Chikhili, Chandrapur, Birnapali, Sohela by pass	46	91	137	1	1	2	2	92	182	Ordinary
86	Raigarh to Bargarh Via Kondatarai, Chandrapur, Baramkela, Bhukta, Bhathly	46	69	115	1	1	2	2	92	138	Ordinary
87	Raipur to Raurkela Via Saripali,Sarangarh	168	269	437	2	4	2	4	672	538	Express
88	Koraput to Kanker Via Jeoypur, Jagdalpur	87	179	266	2	4	2	4	348	358	Express
89	Nawrangpur to Kanker	115	58	173	4	2	4	2	230	232	Ordinary
90	Malkangiri to Jagdalpur	169	21	190	6	2	6	2	338	126	Ordinary
91	Raipur to Sohela Via Banjarinaka	8	200	208	1	4	1	4	32	200	Ordinary
92	Bilaspur to Sambalpur Via Sarangarh, Saripali	99	192	291	2	4	2	4	396	384	Express
93	Raigarh to Raurkela Via Jharsuguda	138	27	165	6	2	6	2	276	162	Ordinary
94	Basna to Padampur	21	21	42	4	4	8	8	168	168	Ordinary
95	Saripali to Padampur	20	20	40	4	4	8	8	160	160	Ordinary
96	Malkangiri to Jadalpur Via Sukuma	135	25	160	4	4	8	8	1080	200	Ordinary
97	Jharigaon to Jadalpur Via Anwari	175	25	200	4	4	8	8	1400	200	Ordinary
98	Dhamtari to Jagdalpur Via Raighar	200	25	225	4	4	8	8	1600	200	Ordinary
99	Jagdalpur to Sinapali Via Behra, Deobhog	160	25	185	4	4	8	8	1280	200	Ordinary
100	Nawrangpur to Jagdalpur Via Kosagumuda, Anwari	65	85	150	4	4	8	8	520	680	Ordinary
101	Kalimela to Jagdalpur Via Sukuma, Malkangiri	65	25	90	4	4	8	8	520	200	Ordinary
102	Nawrangpur to Jagdalpur Via Girla, Kotpad and Chandil	50	25	75	4	4	8	8	400	200	Ordinary
103	Kotpad to Jagdalpur	35	25	60	4	4	16	16	560	400	Ordinary

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Rajnandgaon to Damanjodi Via Sunabeda, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	130	299	429	2	2	2	2	260	598	Express
105	Durg to Malkangiri Via Jeypore, Boriguma & Chandil	165	240	405	2	2	2	2	330	480	Express
106	Kondagaon to Umerkot Via Righar	45	80	125	2	2	4	4	180	320	Ordinary
107	Sambalpur to Bhilai Via Loharchati	105	230	335	2	2	4	4	420	920	Express
108	Bargarh to Saraipali Via Loharchati	60	30	90	2	2	4	4	240	120	Ordinary
109	Dantewada to Malkangiri Via Jagdalpur, Boriguma	160	60	220	2	2	4	4	640	240	Ordinary
110	Ladugaon to Jagdalpur Via Nawrangpur, Boriguma & Chandil	150	25	175	2	2	4	4	600	100	Ordinary
111	Nawrangpur to Jagdalpur Via Papadahandi, Kodinga, Kosagumuda, Anwari	90	25	115	2	2	4	4	360	100	Ordinary
112	Nawrangpur to Bhopalpatnam	70	65	135	2	2	4	4	280	160	Ordinary
113	Kosagumuda to Jagdalpur Via Anwari	90	65	155	2	2	4	4	360	260	Ordinary
114	Sodrenga to Jagdalpur	85	35	120	2	2	4	4	340	140	Ordinary
115	Jagdalpur to Motu Via Jeypore, Boriguma, Chandil	280	25	305	2	2	4	4	1120	100	Express
116	Berhampur to Jagdalpur Via KV line, Rayagada, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	390	25	415	2	2	2	2	780	50	Express
117	Paralakhemundi to Jagdalpur Via Rayagada, Koraput, Jeypore, Boriguma, Chandil	330	25	355	2	2	2	2	660	50	Express
118	Joypatna to Jagdalpur Via Nawrangpur, Chandil	180	25	205	2	2	4	4	720	100	Ordinary
119	Bhawanipatna to Durg	165	90	255	2	2	4	4	660	360	Express
120	Raipur to Rajkhariar	100	160	260	2	2	4	4	400	640	Express

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Saraipali to Bargarh	60	35	95	2	2	4	4	240	140	Ordinary
122	Erlagaon to Dhamtari	85	75	160	2	2	4	4	340	300	Ordinary
123	Jharsuguda to Patalgaon Via Tumala, Kotba	60	75	135	2	2	4	4	240	300	Ordinary
124	Ambikapur to Puri Via Jharsuguda	404	250	654	2	2	2	2	808	500	Express
125	Bargarh to Sankra	57	50	137	2	2	4	4	228	320	Ordinary
126	Bargarh to Shqaud Via Saraipali	57	50	107	2	2	4	4	228	200	Ordinary
127	Puri to Korba Via Jharsuguda, Raigarh	425	300	725	2	2	2	2	850	600	Express
128	Nayagarh to Raipur Via Cha chhak, Boudh, Sonpur, Binka, Bargarh, Sohella	277	181	458	2	2	2	2	554	362	Express
129	Jharsuguda to Patalgaon Via Subdergarh, Telijore, Tapkera, Kunkuri	85	86	174	2	2	4	4	352	344	Ordinary

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-10/2008/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती की रीति तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम :—**

   (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ (भौमिकी एवं खनिकर्म चतुर्थ श्रेणी सेवा) भर्ती नियम, 2008 है.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** यह नियम अनुसूची एक के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों के लिए होगा.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती के तरीके, आयु सीमा तथा अन्य विषय, अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के कॉलम (3) से (5) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार हो II.

4. **आरक्षण :—**

   (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार होगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण का क्षेत्र) नियम, 1997 के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण होगा.

   (3) महिलाओं के लिए आरक्षण—महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा तथा पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु उपबंधित आरक्षण तथा छूट को प्रभावित नहीं करेगी, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक जो सेवावधि के दौरान मृत हुआ हो, के परिवार के एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति, विकलांग व्यक्ति तथा अन्य श्रेणी से संबंधित अन्य व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विनियमित किए जायेंगे.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

   परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्ग	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सेक्शन कटर	1	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540
2	दफ्तरी	1	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540
3	वाइण्डर	1	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540
4	सिपाही	21	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
5	प्रयोगशाला परिचारक	2	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
6	भृत्य	56	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
7	फर्राश	2	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
8	प्रोसेस सर्वर	16	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
9	पम्प अटेंडेंट	2	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
10	चौकीदार	3	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200
11	स्वीपर	1	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200

टीप :— चतुर्थ श्रेणी के स. क्र.-03 तथा 09 के कॉलम 03 में सम्मिलित पद सांख्येत्तर है।

अनुसूची – दो

स. क्र.	विभाग का नाम / पद का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेक्शन कटर	–	100	–	
2	दफ्तरी	–	100		
3	वाइण्डर	–	100		
4	सिपाही	100	–	–	
5	प्रयोगशाला परिचारक	100	–	–	1 पद सांख्येत्तर
6	भृत्य	100	–	–	
7	फर्राश	100	–	–	
8	प्रोसेस सर्वर	100	–	–	
9	पम्प अटेंडेंट	100	–	–	2 पद सांख्येत्तर
10	चौकीदार	100	–	–	
11	स्वीपर	100	–	–	

अनुसूची –तीन

विभाग का नाम	स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़	1	सिपाही	18	35	(1) हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण (2) पुरूष अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 165 सेन्टी मीटर से कम नहीं/महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई 152 सेन्टी मीटर से कम नहीं. (3) सीने का (सामान्य स्थिति में) न्यूनतम माप 81 सेन्टी मीटर एवं (फुलाने पर) न्यूनतम 85 सेन्टी मीटर
	2	प्रयोगशाला परिचारक	18	35	हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
	3	भृत्य	18	35	पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण
	4	फर्राश	18	35	पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण
	5	प्रोसेस सर्वर	18	35	पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण
	6	पम्प अटेंडेंट	18	35	हाई स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण
	7	चौकीदार	18	35	पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण
	8	स्वीपर	18	35	पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण

अनुसूची –चार

विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद या सेवा का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पात्रता की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़	1. भृत्य / चौकीदार	सेक्शन कटर	5 वर्ष	1. अध्यक्ष – संचालक अथवा संचालक द्वारा मनोनित संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी 2. सदस्य– संचालक द्वारा मनोनीत संयुक्त संचालक (भौमिकी) / संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) के अधिकारी 3. सदस्य सचिव – प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा संचालनालय
	2. भृत्य / चौकीदार	दफ्तरी	5 वर्ष	

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक एफ 1-10/2008/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-10/2008/12, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th October 2008

No. F 1-10/2008/12.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in Chhattisgarh Directorate of Geology and Mining, namely :—

RULES

1. **Short Titile :—**
   (1) This rules may be called the Chhattisgarh (Geology and Mining Class-IV Service) Recruitment Rule, 2008.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application :—** This rule shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule-I.

3. **Classification and Scale of pay etc. :—** The clasification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provisions contained in column (3) to (5) of Schedule-I, II, III and IV.

4. **Reservation :—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation in promotion and zone of consideration) Rules, 1997.

   (3) Reservation for women,—Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision of Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving :—**Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service, period. handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving :—**All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

SCHEDULE- I

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Class	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Section Cutter	1	Class IV	2610-60-3150-65-3540
2	Daftari	1	Class IV	2610-60-3150-65-3540
3	Binder	1	Class IV	2610-60-3150-65-3540
4	Sepahi	21	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
5	Laboratory Attendent	2	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
6	Peon	56	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
7	Farrash	2	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
8	Process Server	16	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
9	Pump Attendent	2	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
10	Chawkidar	3	Class IV	2550-55-2660- 60-3200
11	Sweeper	1	Class IV	2550-55-2660- 60-3200

Note-Post included in column 03 of S. No. 03 and 09 of Class IV are supernumerary.

SCHEDULE - II

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Percentage of posts to be filled			Remark
		By direct recruitment	By promotion	By Deputation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Section Cutter	-	100	-	
2	Daftari	-	100	-	
3	Binder	-	100	-	1 Supernum erary post
4	Sepahi	100	-	-	
5	Laboratory Attendent	100	-	-	
6	Peon	100	-	-	
7	Farrash	100	-	-	
8	Process Server	100	-	-	
9	Pump Attendent	100	-	-	2 Supernum erary
10	Chawkidar	100	-	-	
11	Sweeper	100	-	-	

Name of Department	S.NO	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualifications and Expereance
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Directorate of geology and Mining Chhattisgarh.	1.	Sepahi	18	35	1. Passed High school (10+2) examination. 2. Height should not be less than 165 centimeter for male candidates/for female candidate hight should not less than 152 centimeter 3. Minimum measurement of Chest 81 centimeter(in normal condition) 85 centimeter(in raised condition)
	2.	Laboratory Attendent	18	35	Passed High school (10+2) examination
	3.	Peon	18	35	Passed class fifth
	4.	Farrash	18	35	Passed class fifth
	5.	Process Server	18	35	Passed class fifth
	6.	Pump Attendent	18	35	Passed High school (10+2) examination
	7.	Chawkidar	18	35	Passed class fifth
	8.	Sweeper	18	35	Passed class fifth

SCHEDULE IV

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Directorate of Geology and Mining. Chhattisgarh	1. Peon /Choukidar	Section cutter	5 Years	1. **Chairmen-** Director or officers of Joint Director nominated by Director. 2. **Member –.** officers of Joint Director (geology)/Joint Director(Mineral administration nominated by Director . **Member Secretary-** Officer In-Charge Establishment section of Directorate..
	2. Peon/Choukidar	Daftari	5 years	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./30/अ 82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	माना प. ह. नं. 116	491/1, 492/1	0.121	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	रॉ-वाटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने हेतु.
			491/2, 492/2	0.129		
		योग	**2**	**0.250**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	खरकट्टा प. ह. नं. 4	18.562	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	खरकट्टा जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र एवं दायीं-बायीं मुख्य नहर के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक 62/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	पासीद	1.083	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	अरपा नदी पुल पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक 1/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सुठेली	8.044	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भेरवा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स/लोहारा	सुरजपुरा प. ह. नं. 56	0.240	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाठ परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैरॉज में नहर निर्माण का पूरक अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 सितम्बर 2008

प्रकरण क्रमांक 34/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स/लोहारा	कुम्हारी प. ह. नं. 56	0.754	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाठ परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैरॉज मुख्य नहर निर्माण में पूरक अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2312/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	कुसुमकसा प. ह. नं. 20	3.19	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2314/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	चिपरा प. ह. नं. 19	2.65	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	जलाशय निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2315/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	भर्रीटोला प. ह. नं. 19	4.40	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	नहर नाली निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2316/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	डौंडीलोहारा प. ह. नं. 25	0.87	कार्यपालन अभियंता सह सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दुर्ग.	डौंडीलोहारा से मडियाकट्टा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2318/अ. 82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	संबलपुर प. ह. नं. 24	0.04	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	उद्वहन सिंचाई योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-पतराटोली, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.757 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174	0.024
1/5	0.081
19	0.045
20	0.014
52/3	0.041
32/2	0.017
33/3	0.100
34/3	0.227
31	0.040
34/2	0.058
52/4	0.081
52/2 ग	0.148
59	0.098
129	0.085
157	0.013
181, 182	0.168
183	0.097
168	0.031
179/1	0.063

(1)	(2)
178	0.046
167	0.017
165/2	0.072
163/2	0.029
164/1	0.009
52/2 घ	0.153
योग 25	1.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना, एल. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-पत्थलगांव
(ग) नगर/ग्राम-रोकबहार, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
40/1	0.096
45/1	0.207
39/3	0.417
41/1	0.009
50/1	0.123
73/1	0.105
74	0.162
66/1	0.130
69	0.073
योग 9	1.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खमगढ़ा जलाशय योजना, आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 सितम्बर 2008

क्रमांक 13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-बलौदा
(ग) नगर/ग्राम-औराईकला, प. ह. नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल-67.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
229/5	0.25
239/1	0.22
239/2	0.31
212	0.53

(1)	(2)	(1)	(2)
202/1	0.92	197/2	0.13
202/2	1.00	197/4	0.20
202/3	0.45	197/5	0.20
203/1	0.41	198	1.00
228/1	0.54	199/1 क	0.84
243	1.40	199/1 ख	0.50
210/1	0.10	199/2	0.34
210/2	0.10	199/3	0.34
232/3	0.46	200	0.05
220	0.47	201/1	0.65
223	0.21	231/2, 244/2	1.40
795	0.77	201/3	0.30
796	0.14	203/2	0.29
797/2	1.12	2350/2	0.55
237	0.54	204	0.35
209	0.06	229/2	0.25
213	0.24	205/1	0.24
214	0.80	205/2	0.15
216	0.21	205/3	0.69
219	0.08	205/4	0.06
231/3, 244/3	0.78	205/5	0.07
231/1, 244/1	0.70	208	0.15
201/2	0.30	211	0.29
229/4	0.25	205/6	0.15
238/1	0.83	207	0.15
238/2	0.60	224	0.81
238/3	0.27	225/1	0.34
232/1	0.86	225/2	0.17
232/5	0.70	226	0.18
233/2	0.80	236	0.65
206	1.00	228/2	0.49
227	0.99	230	0.10
215	0.20	228/4	0.20
221	0.05	228/3	0.15
222	0.31	229/1	0.25
235/1	0.64	229/3	0.52
235/2	0.38	2348/1	0.10
195/2	2.22	232/4	0.50
195/1	1.11	233/1	0.30
196/1	2.40	233/3	0.30
196/2	1.10	234	0.62
2349	0.90	237	0.54
197/1	0.45	239/3	0.18
197/6	0.20	239/4	0.53

(1)	(2)
787	0.70
240	0.58
241	0.18
242	0.18
245/1	0.30
245/7, 249/2	0.26
246	0.13
247	0.28
250	0.08
245/2, 249/1	0.78
245/3, 245/4	0.36
245/5, 245/6	0.72
248/1	0.35
248/2	0.32
788/1	0.49
788/2	0.09
790	0.18
789	1.80
793/1	0.51
793/2	0.51
794/1	0.24
794/4	0.07
794/2	0.16
794/3	0.18
794/5	0.16
794/7	0.07
794/6	0.32
2348/2	0.30
2348/3	0.30
2348/4	0.20
2348/5	0.20
197/3	0.20
2350/1	0.15
2350/3	0.20
2350/4	0.21
962	0.40
963	1.70
964	0.08
232/2	0.18
960/4	1.80
960/8	1.80
960/9	1.80
960/10	2.00
योग	67.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-अकलतरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1412/1	0.03
1413/1	0.02
1413/2	0.05

(1)	(2)
1414/1	0.06
1414/2, 1476	0.13
1443	0.13
1444	0.12
1451/1	0.05
1457	0.21
1458	0.02
1459	0.16
1495	0.02
1496/1	0.10
1496/2	0.10
1461/2	0.06
1462/1	0.03
1462/2	0.03
1463, 1464	0.13
1470	0.16
1450	0.07
1475/2	0.06
1522, 1523	0.25
1664	0.01
1670/1	0.05
1670/2	0.10
1661/1	0.05
1661/2	0.10
1662/1	0.26
1657/2	0.12
1657/3	0.26
1675	0.16
1677/1	0.08
1677/2	0.08
1677/3	0.04
1619/1	0.41
योग 35	3.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अकलतरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
7/2	0.59
8/2, 9	0.07
7/3	0.12
11	0.05
13, 41	0.12
22/1	0.11
22/2, 22/3, 22/5	0.32
35/2	0.15
37	0.13
38	0.28
39	0.30
36/4	0.20
43/1	0.09
43/2	0.40
48	0.03
42	0.08
73/1	0.15
73/2	0.16
73/3, 73/4, 73/5	0.16
73/6	0.08
75	0.19
77	0.05
78	0.03
92	0.15
93/1	0.14

(1)	(2)
95	0.11
97	0.15
98	0.22
99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/6	0.57
101/1	0.09
176/6	0.04
177	0.09
178/1	0.02
183	0.14
185, 186/2	0.23
178/2	0.09
योग 36	5.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कबीरधाम जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2008

प्रकरण क्रमांक 70/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
802/2	0.14
861/2	0.18
862	0.10
863/1, 863/2	0.07
863/3	0.10
864	0.21
879/1	0.12
879/2	0.16
881	0.01
882	0.26
928	0.45
योग 11	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अकलतरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2361/32 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हे, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
73	0.32
107	0.02
76/1	0.09
100/1	0.20
81/2	0.33
81/3	0.38
77	0.29
79	0.20
83	0.53
81/4	0.28
97	0.59
86	0.24
119	0.74
121	0.61
101	2.08
103	0.48
108	0.03
110	0.25
122	0.29
126	0.08
106	0.06
120	0.02
81/1	0.32
76/2	0.04
76/4	0.09
88/3	0.11
85	0.16
80	0.29
89	0.44
82	1.33
84	0.65
116	0.10
87	0.33
100/2	0.20
102	0.20
104	0.51
109	0.02
118	0.64
125	0.11
योग 39	13.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2364/34 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ियाकट्टा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.73 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
257/1	0.12
257/10	0.06
258/2	0.02
267	0.07
269	0.11
314/3	0.07
332	0.10
342	0.08
347	0.02
349/1	0.06
314/5	0.02
257/9	0.01
258/1	0.08

(1)	(2)
258/4	0.17
268	0.07
314/2	0.01
314/4	0.09
338	0.29
343	0.08
344	0.12
351	0.08
योग 21	1.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर नाली एवं रपटा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 अक्टूबर 2008

क्रमांक/2367/10 अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-रजही, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.08
88/3	0.11
95/1	0.06
95/3	0.06
94	0.09
355	0.07
364	0.06
378	0.03
379	0.01
345	0.12
349/3	0.10
351	0.04
88/2	0.13
93	0.03
95/2	0.05
95/4	0.11
354	0.09
356	0.07
365	0.02
381	0.05
380	0.07
349/2	0.14
350	0.08
349/1	0.08
योग 24	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नहर एवं रपटा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-रौहा, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.049 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर.	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	41/1	0.049
योग		0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाविद्यालय भवन के पहुंच मार्ग से प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पण्डरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.